<u>न्यायालयः— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण कमांकः 66 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांक—19.03.15</u> फाईलिंग नंबर—230303002772015

निरंजनसिंह पुत्र महाराजसिंह आयु 50 साल जाति ठाकुर (जाट) निवासी ग्राम खड़ेर थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रू द्ध

राज्य द्वारा पुलिस गोहद, जिला भिण्ड

---प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालयः श्री पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—787 / 07 ई.फौ. पुलिस गोहद बनाम निरंजनसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.03.15 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

<u>—::— आ दे श —::—</u> (आज दिनांक **24 जुलाई 2015** को पारित किया गया)

01— आवेदक निरंजनिसंह की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्री पंकज शर्मा न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण कमांक—787 / 07 पुलिस गोहद बनाम निरंजनिसंह में पारित आदेश दिनांक 03.03.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा—193 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया है।

02— प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी निरंजनसिंह थाना गोहद के अप०क०—189/01 धारा—379 भादिव में विद्युत तारों की चोरी के मामले में अभियोजन का साक्षी था जिसने सरपंच की हैसियत से शिनाख्ती कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये थे। और विचारण के दौरान वह पक्ष विरोधी हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि उक्त अपराध से संबंधित जे०एम०एफ०सी० गोहद के न्यायालय में आप०प्र०क०—08/02 चला था जिसमें दिनांक 04.12.07 को निर्णय हुआ था जिसकी आरोपी रमेश राठौर के द्वारा दाण्डिक अपील की गई थी और दाण्डिक अपील में वह ए०एस०जे० गोहद के न्यायालय से अपील फौजदारी क्रमांक—133/07 निर्णय दिनांक 17.04.13 के अनुसार दोषमुक्त किया जा चुका है।

03— पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस गोहद ने आरोपी रमेश राठौर के विरूद्ध भादवि की धारा—379 का आरोप पंजीबद्ध कर न्यायालय श्री आर०पी०सोनकर जेएमएफसी गोहद के यहाँ प्रस्तुत किया था जो प्र०क०—08/2002 इ०फौ० पर संचाति होकर दिनांक 04.12.07 को निर्णीत किया जाकर आरोपी को दण्डित किया गया था जिसके विरूद्ध आरोपी ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के यहाँ अपील पेश की जो प्र०क०—133/07 अ०फौ० पर संस्थित होकर आरोपी को दोषमुक्त किया गया। उपरोक्त चोरी के प्रकरण में श्री आर०पी०सोनकर के न्यायालय ने निगरानीकर्ता (साक्षी—अभियोजन) को झूंठी गवाही देने का आरोप लगाकर उसके विरूद्ध भा०द०सं० की धारा—344 के अंतर्गत एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध भादिव की धारा—193 के अंतर्गत आरोप तैयार कर विचारण के लिये तारीख पेशी 17.04.15 नियत की है जिससे दु:खी होकर यह याचिका पेश की गई है।

04— याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका / निगरानी में यह आधार लिया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.15 विधि विधान के विपरीत होकर काबिल निरस्ती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भा0द0सं0 की धारा—193 का आरोप विरचित करने में अपने विवेक का प्रयोग न करके मनमाने ढंग से आरोप विरचित करने में कानूनी त्रुटि की है तथा भा0द0सं0 की धारा—344 के विचारण की कार्यवाही के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया की गईं और उसके लिये उसका विचारण समरी द्रायल की तरह होगा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त विचारण न करके वारण्ट द्रायल का जो आरोप लगाया है वह विधि विधान के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत परिवाद पर से शीघ्र संक्षिप्त विचारण करके शीघ्र निराकरण करके 344(1) जा0फौ० के तहत निर्णय पारित करना चाहिए था जो न करके भी कानूनी भूल की है। शासन के चोरी के प्रकरण में निर्णय दिनांक 04.12.07 को पारित किया गया है जबिक परिवाद पत्र भी उसी दिनांक को प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसा न करके म0प्र० राज्य ने परिवाद आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.03.15 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05— पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं । जबिक अभियोजन की ओर से कहा गया कि विद्वान निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतया उचित है ।

06- विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

"क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 03.03.15 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?"

<u>—::— निष्कर्ष के आधार —::—</u>

07— पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः इस बिन्दु पर बल दिया है कि जिस अपराध के लिये रमेश राठौर को अभियोजित किया गया था उसमें वह अपीलीय न्यायालय से दोषमुक्त हो चुका है। तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी साक्षी / पुनरीक्षणकर्ता निरंजनसिंह के विरूद्ध गलत निष्कर्ष निकालते हुए उसे मिथ्या साक्ष्य के लिये अभियोजित किया गया। संबंधित विचारण न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री आर०पी० सोनकर द्वारा धारा–344 द0प्र0सं0 के तहत परिवाद किया गया था। और उसी धारा के तहत परिवाद पर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया जिसमें जमानत हुई किन्तु आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.15 द्वारा जो आरोप विरचित किया गया है, वह धारा–344 द0प्र0सं0 के अंतर्गत नहीं है बल्कि धारा-193 भादवि के अंतर्गत विरचित किया गया है जिसके तहत परिवाद नहीं किया गया था। तथा धारा–193 भादवि का अपराध वारण्ट विचारण का है और धारा–344 द0प्र0सं0 के उपबंध मुताबिक संक्षिप्त विचारण का प्रावधान है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही नहीं की है। और विधि के विपरीत जाकर आरोप विरचित किया है जिसमें विवेक का प्रयोग न करते हुए मनमाने तरीके से आरोप लगाया है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। इसलिये आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.15 को अपास्त किया जाये जिसका विद्वान ए०जी०पी० द्वारा तर्कों में कड़ा विरोध किया है और यह व्यक्त किया है कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देने की उपापित्त (फाईन्डिंग्स) विचारण न्यायालय द्वारा दी गई थी। उसी आधार पर अभियोजित किया गया है और धारा–193 भादिव का अपराध ही आकर्षित होता है। इसलिये आलोच्य आदेश और उसके द्वारा लगाया गया आरोप विधिसम्मत होकर पुष्टियोग्य है और तकनीकी रूप से पुनरीक्षणकर्ता कोई लाभ नहीं ले सकता है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका सव्यय निरस्त की जावे।

08— अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख विरचित आरोप एवं धारा—344 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। तत्कालीन विचारण न्यायालय द्वारा धारा—344 द0प्र0सं0 के तहत परिवाद पुनरीक्षणकर्ता/अभियोजन साक्षी निरंजनसिंह के विरूद्ध दिण्डत किये जाने बाबत प्रेषित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है कि उसके द्वारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत की गई जो कि दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—08/02 में जप्त मुद्देमाल विद्युत तारों की शिनाख्ती पंचनामा का महत्वपूर्ण साक्षी होकर शिनाख्ती कराने वाला साक्षी था। धारा—344 द0प्र0सं0 1973 के प्रावधान मुताबिक— (1) यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए यह निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जान—बूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाये तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवयक और समीचीन है कि साक्षी यथास्थित, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिये संक्षेप्तः विचारण किया जाना चाहिए तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर

सकेगा और अपराधी को ऐसा काण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिये दण्डित किया जाये, उचित अवसर देने के पश्चात, ऐसे अपराधों का संक्षेप्तः विचारण कर सकेगा और उसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डित कर सकेगा।

- ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारणों के लिये विहित प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा।
- जहाँ न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिये अग्रसर नहीं होता है वहाँ इस धारा की कोई बात, अपराध के लिये धारा-340 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
- जहाँ, उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ किये जाने के पश्चात, (4) सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरूद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है अपील या पुनरीक्षण के लिये आवेदन किया गया है, वहाँ वह, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाये जाने तक आगे विचारण की कार्यवाहियों को रोक देगा और तब आगे विचारण की कार्यवाहियाँ अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों के अनुसार होंगी।
- धारा–193 भा0द0वि0 के अनुसार– जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाये जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,

और जो कोई अन्य मामले में साशय मिथ्या देगा या गढेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-1 सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है।

स्पष्टीकरण-2 न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।

स्पष्टीकरण-3 न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।

धारा-344 (1) द0प्र0सं0 के उपबंध मुताबिक विचारण न्यायालय ही कार्यवाही कर सकता है। तब संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। किन्तु हस्तगत मामले में

(5)

विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद तैयार कर संबंधित जे०एम०एफ०सी० न्यायालय को प्रेषित किया गया था। ऐसे में प्रेषित किये गये परिवाद में केवल धारा—344 का उल्लेख त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है। क्योंकि परिवाद करने पर धारा—344 द०प्र०सं० के वजाय धारा—340 द०प्र०सं० का प्रावधान आकर्षित होता है जिसके अनुसार— (1) जब किसी न्यायालय की, उससे इस निमित्त किये गये आवेन पर या अन्यथा, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा—195 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई या साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए। तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे—

- (क) उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है,
- (ख) उसका लिखित परिवाद कर सकता है,
- (ग) उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है,
- (घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है अथवा यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, और
- (ड.) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिये किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकता है।
- (2) किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने धारा (1) के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के लिये किये जाने के लिये आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसका ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा—195 की उपधारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है।
- (3) इस धारा के अधीन किये गये परिवाद पर हस्ताक्षर—
- (क) जहाँ परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहाँ उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किये जायेंगे, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे,
- (ख) किसी अन्य दशा में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के द्वारा यथा न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे।
- (4) इस धारा में "न्यायालय" का वही अर्थ है जो धारा–195 में है।
- 11— इस तरह से पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा धारा—344 (1) द0प्र0सं0 के प्रावधान के संदर्भ में जो तर्क किया गया है उसे ग्राह्य योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रकरण की विषयवस्तु और अपराध की प्रकृति को देखा जाता है न कि उल्लेखित

प्रावधान के आधार पर तकनीकी रूप से कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मूल मामला न्यायालयीन कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देने बाबत बताया गया है। न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य साश्य पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दी गई या नहीं दी गई, यह गुण—दोषों की विषयवस्तु है जो साक्ष्य उपरान्त ही गुण—दोषों पर निराकृत की जा सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का परिशीलन करने पर लिखित परिवाद, उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में मुद्देमाल की शिनाख्ती का पंचनामा, उसके साथ पुनरीक्षणकर्ता का अभियोजन साक्षी के रूप में शपथ पर न्यायालय में दिया गया कथन, दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-08/02 के निर्णय दिनांक 04.12.07 की प्रति संलग्न की गई। निर्णय की कण्डिका-11 में पुनरीक्षणकर्ता के संबंध में यह निष्कर्ष उपापित्त (फाईन्डिंग्स) विचारण न्यायालय द्वारा दी गई थी कि उसके द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान प्र0पी0-4 के शिनाख्ती पंचनामा पर मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिस पर से उसे अभियोजित किया जाना आवश्यक मानते हुए परिवाद पत्र तैयार कर विधिवत निराकरण के लिये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड की ओर भेजा गया था जहाँ से वह अधीनस्थ न्यायालय में अंतरण अंतरण पश्चात प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध बतलाया गया मूल अपराध न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान मिथ्या साक्ष्य देने संबंधी है। और ऐसा अपराध धारा-193 भादवि के अंतर्गत दण्डनीय होता है। इसलिये धारा—193 भादवि के तहत मूलतः आरोपी जो कि जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के विचारण क्षेत्राधिकार का है, और संज्ञेय होने से परिवाद द्वारा ही किया जा सकता है जो कि किया भी गया है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधार उक्त परिस्थितियों में कोई विधिक महत्व नहीं रखते हैं। तथा मूल आपराधिक प्रकरण में आरोपी रमेश राठौर के अपीलीय न्यायालय दोषमुक्त हो जाने से भी पुनरीक्षणकर्ता कार्यवाही से विधिक रूप से मुक्त नहीं हो सकता है।

13— फलतः प्रस्तुत की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई विधिक बल नहीं है और आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित व औचित्यहीन होना प्रतीत नहीं होता है। अतः विचारोपरान्त प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका इस निर्देश के साथ निरस्त की जाती है कि प्रकरण का विचारण शीघ्रता से किया जावे।

दिनांक 24.07.2015

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)